



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक-19.05.2024

थाना बिनौली पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 40/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000/- रुपये के इनामी अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर व एक अपाचे मो0सा0 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 40/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000 रुपये के इनामी



अभियुक्त को चैकिंग के दौरान शेखपुरा के जंगल से बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अपाचे मोटरसाईकिल नं0 UP15EB 7768 तथा एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र यामीन की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।

नोट – गिरफ्तार अभियुक्त थाना बिनौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 40/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित है तथा ट्यूबैल चोरी का गैंग का सरगना है। वर्तमान में भी गिरफ्तार अभियुक्त का गैंग सक्रिय था जिसके गैंग में नये सदस्य जुड़े थे जो जगह-जगह चोरी की घटनाओं को अन्जाम दे रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त व इसके सदस्यों ने पूर्व में थाना बिनौली क्षेत्र में कई किसानों के ट्यूबैल से चोरी की थी। गिरफ्तार अभियुक्त के अन्य साथियों की भी पहचान कर शीघ्र ही गिरफ्तारी की जायेगी।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुस्तकीम पुत्र यामीन निवासी ग्राम खिवाई थाना सररपुर जनपद मेरठ ।

गिरफ्तार अभियुक्त मुस्तकीम का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 137/10 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सररपुर जनपद मेरठ
- 2-मु0अ0सं0 227/10 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सररपुर जनपद मेरठ
- 3-मु0अ0सं0 324/13 धारा 379/411 भादवि थाना सररपुर जनपद मेरठ
- 4-मु0अ0सं0 298/12 धारा 379/411 भादवि थाना सररपुर जनपद मेरठ
- 5-मु0अ0सं0 285/23 धारा 380/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 6-मु0अ0सं0 454/23 धारा 380/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत
- 7-मु0अ0सं0 263/23 धारा 379/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत
- 8-मु0अ0सं0 274/23 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत
- 9-मु0अ0सं0 40/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- एक अपाचे मोटरसाईकिल नं0 UP15EB 7768
- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र पाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-निरीक्षक श्री रवेन्द्र सिंह पलावत प्रभारी एसओजी टीम बागपत ।
- 3--उ0नि0 श्री सुभाष चन्द यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 354 नीलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 5- है0का0 446 हरेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत
- 6-है0का0 491 राम कुमार एसओजी टीम बागपत ।
- 7-है0का0 489 सुनील कुमार एसओजी टीम बागपत ।
- 8-है0का0 440 राशिद खान एसओजी टीम बागपत ।
- 9-का0 25 राजीव कुमार एसओजी टीम बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बालैनी

दिनांक- 19.05.2024

थाना बालैनी पुलिस ने कबूतरों की उडान पर बाजी लगाकर जुआ खेलते समय 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 कबूतर व 02 पिंजरे, 5 डिब्बे (गत्ते के), 02 बडी सिरिन्ज, 04 कैमिकल की बोतलें व 7640 रूपये नगद तथा मौके से 12 मोटरसाईकिल बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा कबूतरों की उडान पर बाजी लगाकर जुआ खेलते समय 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 02 कबूतर व 02 पिंजरे, 5 डिब्बे (गत्ते के), 02 बडी सिरिन्ज, 04 कैमिकल की बोतलें व 7640 रूपये नगद तथा मौके से 12 मोटरसाईकिल बरामद हुई हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-गौरव पुत्र कन्नू निवासी ग्राम कुम्हैडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद ।
- 2-गुलजार पुत्र नूर मौहम्मद निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-संदीप पुत्र महक सिंह निवासी ग्राम चढा थाना कांधला जनपद शामली ।
- 4-सौरभ कुमार पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम पतला थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद।
- 5-दिलशाद पुत्र कल्लू निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 कबूतर व 02 पिंजरे ।
- 5 डिब्बे (गत्ते के) ।
- 02 बडी सिरिन्ज व 04 कैमिकल की बोतलें ।
- 7640 रूपये नगद ।
- मौके से 12 मोटरसाईकिल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष सुधी साक्षी सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-उ०नि० श्री मंजीत थाना बालैनी जनपद बागपत ।

3-उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।

4-उ०नि० श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।

5-SI/UT करिश्मा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

6-है०का० 440 राशिद थाना बालैनी जनपद बागपत ।

7-का० 368 पवन कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।

8-का० 1010 राजीव कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।